78

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1720-दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 2-4-2012- पारित व्दारा - तहसीलदार हनुमना जिला रीवा - प्रकरण कमांक 25 अ-12/2011-12

1- छोटेलाल पुत्र औसेरी काछी
2- रमेशकुमार पुत्र रामखेलावन काछी
ग्राम सोनवर्षा तहसील हनुमना जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- रामनिवास 2- सिद्धमुनि पुत्रगण बद्री
ग्राम सोनवर्षा तहसील हनुमना जिला रीवा ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री विवेक शर्मा)
(अनावेदकगण एंव उनके अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 06 - 04 -2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार हनुमना व्दारा प्रकरण कमांक 25 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 2-4-2012 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार हनुमना को आवेदन प्रस्तुत कर मौजा पटेहरा वस्तीवानी की भूमि सर्वे नंबर 554/2/1 एंव 554/2/2 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के सीमॉकन की मांग की। तहसीलदार हनुमना ने राजस्व निरीक्षक वृत्त हनुमना को सीमांकन करने हेतु सूचित किया, जिस पर से मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी करके दि. 8-2-12 को वादग्रस्त भूमि का सीमांकन किया तथा तहसीलदार हनुमना

को सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 29-2-12 प्रस्तुत किया, जिस पर आवेदक कमांक 1 ने आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि वादित भूमि से संबंधित प्रकरण तहसील में चल रहा है इसलिये सीमांकन स्थिगत रखा जाय। सीमांकन पर अन्य आपत्ति जगदीश प्रसाद पुत्र गयाप्रसाद ब्राहमण ने प्रस्तुत की। तहसीलदार ने आपत्तिकर्ताओं को सुनकर आदेश दिनांक 2-4-2012 पारित किया तथा आपत्ति निरस्त करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार हनुमना के प्रकरण कमांक 25 अ-12/2011-12 में पारित इसी आदेश दिनांक 2-4-2012 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित अधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा तहसीलदार हनुमना के प्रकरण कमांक 25 अ-12/2011-12 के साथ प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण एंव उनके अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में तहसीलदार हनुमना व्दारा प्रकरण कमांक 25 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 2-4-2012 के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक कमांक 1 ने आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि वादित भूमि से संबंधित प्रकरण तहसील में चल रहा है इसलिये सीमांकन प्रकरण स्थिगत रखा जाय। इस सम्बन्ध में तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 2-4-12 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

> प्रकरण का मेरे व्दारा आद्योपरांत अवलोकन किया गया। आपत्तिकर्ता छोटेलाल का आपत्ति अस्पष्ट है। आपत्तिकर्ता जगदीश प्रसाद के आपत्ति में बताया गया है कि इसी भूमि से संबंधित आवेदक व्दारा प्रस्तुत तरमीम व बेदखली का प्रकरण इसी न्यायालय में चल रही है। आपत्तिकर्ता पक्ष उक्त आरोप का पुष्टि सम्बन्धित प्रकरण का प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर नहीं किया गया है।

तहसीलदार हनुमना ने आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति निरस्त करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। जब आपत्तिकर्ता स्पष्ट रूप से तहसीलदार के समक्ष बता रहे हैं कि वाद विचारित भूमि अथवा इसी सम्बन्ध भूमि के निकटस्थ भूमि का मामला तहसील न्यायलय में चल रहा है, तहसीलदार का दायित्व था कि तहसील न्यायालय में प्रचलित अन्य प्रकरण अथवा तरमीम व बेदखली का प्रकरण

समक्ष में मॅगाते एंव वाद विचारित भूमि से प्रकरण सम्बन्धित हैं अथवा नहीं है? पूर्ण छानवीन कर प्रकरण कमांक 25 अ-12/2011-12 के संलग्न कर संयुक्त अध्यन उपरांत किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिये था, किन्तु उनके व्दारा ऐसा न करते हुये आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत आपत्ति का आधार जाने बिना सीमांकन आदेश पारित किया है जिसके कारण तहसीलदार हनुमना का आदेश 2-4-2012 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार हनुमना व्दारा प्रकरण कमांक 25 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 2-4-2012 त्रृटिपूर्ण होने निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार हनुमना की ओर से इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि उक्त विवेचनाकम में आये प्रकरणों का शोध कराकर समस्त प्रकरणों को सम्मिलित करते हुये , यदि ऐसे कोई प्रकरण नहीं है, तब भी समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई / साक्ष्य का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर